डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

1. राजू पुत्र मीठया
2. रवि पुत्र मीठया
3. पूनत पुत्र मीठया
समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. सुमेर चन्द पुत्र रामदेव
2. भगतराम पुत्र सोनपाल
3. चन्द्रकांन्ता पत्नि स्व0 संतराम
4. श्यामसुन्दर पुत्र संतराम
5. सुमन पुत्री संतराम
6. कुसुम पुत्री संतराम
7. रजनी पुत्री संतराम
समस्त जातियान ब्राह्मण निवासीयान पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. रूपचन्द पुत्र भौरीलाल
9. भॅवर सिंह पुत्र रूपचन्द
10. रामकेश पुत्र रामस्वरूप
11. बहादुर पुत्र रामअवतार
जातियान मीना निवासीयान पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
12. चिमकू पुत्र सुन्दर
13. भोला पुत्र चौथी
जाति नाई निवासी पहाडी
14. शिवजी पुत्र मंगल कोली निवासी पहाडी
15. सियाराम पुत्र ग्यारसा
16. सुवालाल पुत्र ग्यारसा
17. शिवराम पुत्र ग्यारसा
18. प्रकाश चन्द पुत्र ग्यारसा
जातियान मीना निवासीयान पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
19. बैक ऑफ बडौदा शखा करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
20. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम।
21. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा हिण्डौन सिटी बालाजी तहसील टोडाभीम।
22. उप पंजीयक बालघाट।
23. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

प्रतिवादी गण

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

दावा वावत तकास्मा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
मु0न0 10/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री विष्णु कुमार कंटक एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू सुनील कुमार जिन्दल, श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 2641/0.25, 2645/0.40, 1785/4934/0.09, 2721/0.13, 2780/0.02, 1791/1/0.23, 2644/1/0.25 कुल किता 7 कुल रकवा 1.37 है0 मे राजू, रवि पि. मीठया, पूनम पुत्री मीठया जाति ब्राह्मण हि. ब. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 2721/1/0.13, 2780/1/0.02, 2713/0.06, 2707/0.06, 2956/0.07, 2957/1/0.02 कुल किता 6 कुल रकवा 0.36 है0 मे रामकेश पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/2, बहादुर पुत्र रामअवतार हिस्सा 1/2, जाति मीना को

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 2712/0.18, 2973/0.12, 1797/1/0.04, 2957/1/0.03, 2706/0.12, 2643/0.16 कुल किता 6 कुल रकबा 0.65 है0 मे श्याम सुन्दर पुत्र संतराम, चन्द्रकान्ता पत्नि स्व0 संतराम, सुमन, कुसुम, रजनी पुत्रिया संतराम हि.ब. जाति ब्राह्मण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे। बैक रहन के इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगा।

निज....................मुबलिंग..........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.12.2019 को जारी की गई।

उपजिला कलक्टर
दस्तखत टोडाभीम (करौली)
ओहदा..........................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 10/19 तारीख रजू:– 18.01.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. राजू पुत्र मीठया
2. रवि पुत्र मीठया
3. पूनत पुत्र मीठया
समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. सुमेर चन्द पुत्र रामदेव
2. भगतराम पुत्र सोनपाल
3. चन्द्रकांन्ता पत्नि स्व0 संतराम
4. श्यामसुन्दर पुत्र संतराम
5. सुमन पुत्री संतराम
6. कुसुम पुत्री संतराम
7. रजनी पुत्री संतराम
समस्त जातियान ब्राह्मण निवासीयान पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. रूपचन्द पुत्र भौरीलाल
9. भॅवर सिंह पुत्र रूपचन्द
10. रामकेश पुत्र रामस्वरूप
11. बहादुर पुत्र रामअवतार
जातियान मीना निवासीयान पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
12. चिमकू पुत्र सुन्दर
13. भोला पुत्र चौथी
जाति नाई निवासी पहाडी
14. शिवजी पुत्र मंगल कोली निवासी पहाडी
15. सियाराम पुत्र ग्यारसा
16. सुवालाल पुत्र ग्यारसा
17. शिवराम पुत्र ग्यारसा
18. प्रकाश चन्द पुत्र ग्यारसा
जातियान मीना निवासीयान पहाडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
19. बैक ऑफ बडौदा शखा करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
20. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा मेहन्दीपुर बालाजी तहसील टोडाभीम।
21. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा हिण्डौन सिटी बालाजी तहसील टोडाभीम।
22. उप पंजीयक बालघाट।
23. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

प्रतिवादी गण

दावा वावत तकास्मा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री विष्णु कंटक एडवोकेट (वादीगण)
श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (प्रतिवादी न0 3 से 7,10,11)
श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (प्रतिवादी न0 20)

निर्णय दिनांक:– 17.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पहाडी स्थित आराजी ख0न0 1791/0.45, 1792/0.23 कुल किता 2 कुल रकवा 0.68 मे वादीगण के पिता 1/6 हिस्से

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

का व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। आराजी हाल ख0न0 1831/0.21, 2644/0.55 मे वादीगण के पिता हिस्सा 1/3 तथा शेष हिस्से के अन्य प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हूँ। हाल ख0न0 1785/4934/0.09, 1797/0.10, 2641/0.25, 2643/0.16, 2645/0.40, 2711/0.22, 2712/0.18, 2722/0.09, 2962/0.14, 2964/0.10, 2973/0.12 कुल किता 11 कुल रकवा 1.85 है0 मे वादीगण के पिता का 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। 365/0.05, 366/0.06, मे 1/3 व 2781/0.10, मे 1/9 हिस्सा, 1762/0.05, 2612/0.05, 2701/0.08, 2704/0.12, 2706/0.12, 2707/0.06, 2713/0.06, 2721/0.26, 2779/0.05, 2780/0.04, 2787/0.26, 2811/0.03, 2812/0.40, 2818/0.20, 2955/0.04, 2956/0.07, 2956/0.08, 2974/0.05 कुल किता 21 कुल रकवा 2.29 है0 मे वादी के पिता का 1/6 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण के पिता मीठयालाल का स्वर्गवास हो चुका है। मीठया लाल के हिस्से की भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है लेकिन विरासत नामांतकरण तस्दीक नही होने के कारण राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम दर्ज नही हो सका। उक्त आराजीयाता वर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य रिकार्डेड बटवारा नही होने के कारण आये दिन डोल मेढ को लेकर विवाद बना रहता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से तहसील मे चलकर बटवारा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया।

धटना दिनांक 9.1.19 को की है प्रतिवादीगण न0 03 ता 7 अपने साथ प्रतिवादी न0 10 व 11 को लेकर वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर आ गये ओर आकर वादीगण की भूमि की नापतोल करने लगे। वादीगण ने इस बावत प्रतिवादीगण 3 ता 7 ने कहा कि हम तुम्हारी जमीन को प्रतिवादी न0 10 व 11 को बेच देगे और तुम्हे बेदखल कर देगे। दिनांक 10.1.19 को प्रतिवादी न0 10 व 11 ने वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि पर रोडी–पत्थर डालना शुरू कर दिया और मना करने पर ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हे बेदखल कर पक्का निर्माण करेगे। जिस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 2, 8, 9, 12 से 19, 22, 23 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इसलिए इनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 स्वंय उपस्थित हुआ प्रतिवादी न0 20 की और से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने उपस्थित दर्ज की, प्रतिवादी न0 3 से 7 एवं 10, 11 की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादी न0 3 से 7 बहिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न0 3 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी न0 10 व 11 के हक मे विक्रय कर विक्रय पत्र दिनांक 2.1.2019 को उप पंजीयक कार्यालय बालघाट मे पंजीयन कराकर कब्जा प्रतिवादी न0 10 व 11 को करा दिया। प्रतिवादी न0 3 ता 7 का मुताबिक बहामी बटवारा आराजी ख0न0 2721/0.26, 2479/0.05, 2780/0.04 सम्पूर्ण तथा 2713/0.06 है0 मे से 0.03 है0 पर कब्जा था। इसी के अनुरूप उक्त खसरा नम्बरान पर प्रतिवादी न0 10 व 11 को विक्रय कर कब्जा करा दिया। अतः प्रतिवादी न0 10, 11 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग से तकास्मा किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद फरमाया जावे। काउन्टर क्लेम प्रवितादी न0 10 व 11 स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी वकील ने सीधे बहस करते हुए कथन किया कि यह दावा भूमि के विभाजन कराने से संबधित है। तथा वादीगण के पिता मीठया जिनका कि स्वर्गवास हो गया है के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। तथा दावा प्राथमिक डिक्री फरमाया जाकर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे। प्रतिवादी वकील ने कथन किया कि प्रतिवादी न0 3 लगायत 7 से प्रतिवादी न0 10 व 11 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि मे

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

विक्रेता गण का समस्त हिस्सा 1/6 क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है इसलिए प्रतिवादी न0 3 ता 7 के स्थान पर प्रतिवादी न0 10 व 11 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाकर तकास्मा करने हेतु दावा प्राथमिक डिक्री फरमा दिया जावे।

वादपत्र मय काउन्टर क्लेम बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्षकारान ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये दस्तावेजो एवं बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 2641/0.25, 2645/0.40, 1785/4934/0.09, 2721/0.13, 2780/0.02, 1791/1/0.23, 2644/1/0.25 कुल किता 7 कुल रकवा 1.37 है0 मे राजू, रवि पि. मीठया, पूनम पुत्री मीठया जाति ब्राह्मण हि.ब. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 2721/1/0.13, 2780/1/0.02, 2713/0.06, 2707/0.06, 2956/0.07, 2957/1/0.02 कुल किता 6 कुल रकवा 0.36 है0 मे रामकेश पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/2, बहादुर पुत्र रामअवतार हिस्सा 1/2, जाति मीना को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, ख0न0 2712/0.18, 2973/0.12, 1797/1/0.04, 2957/1/0.03, 2706/0.12, 2643/0.16 कुल किता 6 कुल रकवा 0.65 है0 मे श्याम सुन्दर पुत्र संतराम, चन्द्रकान्ता पत्नि स्व0 संतराम, सुमन, कुसुम, रजनी पुत्रिया संतराम हि.ब. जाति ब्राह्मण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राजात मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगे। बैक रहन के इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.02 12:32:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: